

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1942 भोपाल, दिनांक 16-07-2025
प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।

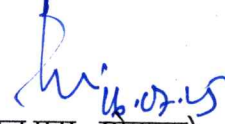
विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO/ दिनांक 08.07.2025.

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व वन्यप्राणी अनुमति की जानकारी भारत सरकार द्वारा चाही गई है। भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी उपलब्ध कराये, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1943
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16-07-2025

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
- की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


16.07.25
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 011/2023-बीएचओ/

दिनांक :

/07/2025.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल

(मध्यप्रदेश) ।

विषय: पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय क्रमांक-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के निर्माण/ चौड़ीकरण हेतु 44.05 हेक्टेयर (earlier proposed 31.90 ha) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/ROAD/121709/2021).

संदर्भ: 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 011/2023-बीएचओ/1/90484 दिनांक 18/12/2024.

2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1215/2023/10-11/1576 दिनांक 27/05/2025.

महोदय,

With reference to the above mention subject and letter under reference, undersigned is directed to inform you that it is observed that the complete area of the proposal is falling in the buffer area for which proposal has already been submitted for recommendation of NBWL. This is also submitted to your kind consideration that the fresh widening is only 31.9 ha for which as per prevailing guidelines CA can be accepted for 70 ha degraded forest land being a Central Govt project. The balance area of 12.15 ha out of total 44.05 ha area proposed for diversion is existing carriageway and had build before 1980, so exempted from the requirement of CA and NPV.

With above available details the proposal is fit for discussion in REC but as per the prevailing guideline decision on Forest Clearance can only be taken after getting recommendation of NBWL in this case. Hence, the State Govt can be intimated that submit the proposal for FC only after getting recommendation of NBWL.

Digitally signed by
Rajesh Dashrath Darade
Date: 08-07-2025
17:17:17 (Rajesh Darade)
17 सहायक निरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।